

क्रम संख्या-06

पंजीकृत संख्या-यू0ए0/डी0एन0-30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 08 जनवरी, 2004 ई0
पौष 18, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 491/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 08 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 06-01-2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 23, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 23, सन् 2003)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में अग्रोत्तर संशोधन हेतु।

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित :-

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

सहिला नाम,
विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा 3-क में संशोधन

2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा 3-क की, उपधारा (1) के खण्ड (क) में शब्द "एक रुपये पचास पैसे", के स्थान पर शब्द "तीन रुपये", रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
बी0 लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979) (Adaptation and Modification Order, 2002) (First Amendment) Bill, 2003, (Uttaranchal Adhinyam Sankhya 23 of 2003).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 06 January, 2004--

No. 491/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun, January 08, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX ACT, 1979) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002) (FIRST AMENDMENT) ACT, 2003

(UTTARANCHAL ACT NO. 23 OF 2003)

further to amend The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979) (Adaptation and Modification Order, 2002) Act, 2003

AN

ACT

It is HEREBY enacted by the State Assembly in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :-

Short title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979) (Adaptation and Modification Order, 2002) (First Amendment) Act, 2003.

Amendment of Section 3-A of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979) (Adaptation and Modification Order, 2002)

(2) It extends to the whole State of Uttaranchal.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. In clause (a) of sub-section (1) of section 3-A of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979) (Adaptation and Modification Order, 2002) for the words, "One rupee fifty paise" the words "Three rupees" shall be substituted.

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.